सत्यमेव जयते

भारत सरकार,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र ,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096
टेलि: 022-28294756, फैक्स: 022-28291754,
ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

सं.सीप्ज़-सेज़/न्यूसेज़/ओएसएमपी/233/16-17/वॉल्यू-IV/ दिनांकः 19.9.2018

परिपत्र संख्या 269

विषयः सेवा निर्यात रिपोर्टिंग फॉर्म (एसईआरएफ) ।

विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ यूनिटों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स एनडीएमएल द्वारा सेज़ ऑनलाइन सिस्टम में “सेवा निर्यात रिपोर्टिंग फॉर्म (एसईआरएफ)” के नाम से एक नया मॉड्यूल विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है ।

एसईआरएफ नामके इस मॉड्यूल को सभी आइटी/आइटीईएस तथा एफटीड्ब्ल्यूज़ेड यूनिटों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से लागू किया गया है । विनिर्माण/व्यापार उद्योग से कई अन्य ऐसे यूनिट भी हो सकते हैं जो प्रसंस्करण, मरम्मत, अनुरक्षण, अनुसंधान आदि क्षेत्र में सेवाओं का निर्यात करते हों । उन्हें भी इस मॉड्यूल में सेवा निर्यातों का विवरण फाइल करना है ।

अतएव, यूनिटधारकों को निदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अथवा इसके पहले निर्धारित फॉर्मेट में विवरण फाइल करें । यदि यूनिट अगले महीने की विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर संबंधित महीने का एसईआरएफ फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे यूनिटों के सभी लेन-देने स्वयमेव अक्षम हो जाएंगे ।

इससे संबंधित विस्तृत क्रियाविधि सेज़ ऑनलाइन सिस्टम में उपलब्ध है । यदि यूनिटों को डाटा फाइल करने में किसी प्रकार की असुविधा हो, तो वे एनडीएमएल हेल्प लाइन नंबर 022 49142542 पर संपर्क कर सकते हैं ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़, मुंबई के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

प्रतिलिपि:

i. विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ यूनिट
ii. सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी
iii. विआका/संविआका
iv. सीप्ज़-सेज़ वेबसाइट
v. सूचना पट्ट
vi. मेसर्स एनडीएमएल

सत्यमेव जयते

GOVT. OF INDIA
OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI-400 096.
Tel: 022-28294756
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in
****

No.SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/OSMP/233/16-17/VOL-IV **19.09.2018**

CIRCULAR NO. 269.

Sub: Implementation of Service Export Reporting Form (SERF)

All SEZ units under jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ is hereby informed that a new module viz. "Service Export Reporting Form" (SERF) has been developed and implemented in SEZ Online System by M/s. NDML.

This module SERF has been made applicable to all IT/ITES and FTWZ units by default. There may be other units from manufacturing/trading industry who are providing Service Exports in the nature of processing, repairs, maintenance, research etc. They should also file the details of Service Exports in this module.

The unit holders are therefore directed to file the details in the prescribed format on or before 10th of each month. In case units fail to file SERF for a given month within the specified timeline of the next month, all the transaction of the unit will automatically get disabled.

The detailed procedures are available in SEZ Online System. In case any difficulty faced by the units in filing the data, please contact NDML helpline number 022 49142542.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

(V.P.Shukla)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

To

i) All the SEZ units under Jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

ii) All Specified Officers

iii) DCO/JDCO

iv) SEEPZ-SEZ, Website

v) Notice Board

vi) M/s. NDML